न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री नरेन्द्र गुप्ता आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 05 / 2012

बउनवान

सरकार जर्ये तहसीलदार, अन्ता जिला–बारां (राज0 (प्रार्थी)

बनाम

1. देवीशंकर
2. सत्यनारायण पुत्रगण कालू
3. रामनारायण पुत्र दीपा जातिगण मीणा निवासीगण पलसावचा तह0 अन्ता जिला बारां

(अप्रार्थीगण)

जिला कलेक्टर बारां (राज0)

रेफरेन्स प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–82 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :– 1. पेरोकार सरकार (प्रार्थी)

2. श्री घनश्याम अग्रवाल अभिभाषक (अप्रार्थीगण)

आदेश दिनांक– 24.01.2023

1– प्रार्थी सरकार जर्ये तहसीलदार, अन्ता ने रेफरेंन्स प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्व अप्रार्थीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम पलसावा में सेटलमेन्ट जमाबंदी सम्वत् 2015–24 में आराजी खसरा नंबर 405 रकबा 10 बीघा 13 बिस्वा किस्म तलाई खाता सरकार दर्ज है। मुताबिक मिलान क्षेत्रफल संवत 2044–63 ग्राम पलसावा के साबिक खसरा नंबर 405 मि. रकबा 10 बीघा 13 बिस्वा के हाल खसरा नंबर 569 रकबा 0.98 है. किस्म माल द्वितीय कायम किये जाकर अवैधानिक रूप से आवंटन दिनांक 13.01.1983 से रामकल्याण, रामगोपाल पुत्रगण दीपा जाति मीणा निवासीगण पलसावा के खाते दर्ज कर दी। उक्त आराजी के हाल खसरा नंबर 1113 / 569 रकबा 0.98 है. किस्म बारानी II मुताबिक वर्तमान जमाबन्दी संवत 2065–68 अप्रार्थीगण के खाते दर्ज है। जो भू. राजस्व अधिनियम की धारा 88 के प्रावधानों के विपरित तथा अवैधानिक है। प्रकरण अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा डी.बी.रिट संख्या 1536 / 2003 निर्णय दिनांक 02.08.2004 में भी ऐसी भूमि के आवंटनों को विधि विरूद्व मानते हुए आवंटन निरस्त किये जाने के निर्देश दिये गये है।

जिला कलक्टर बारां (राज0)

उक्त आवंटन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा–16 के तहत अवैधानिक है तथा डी0बी0 सिविल रिट याचिका संख्या 15[illegible] उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राज. उच्च न्यायालय, जयपुर के नि[illegible] दि[illegible] 2.8.2004 अनुसार ऐसी आराजी को पूर्ववत तलाई दर्ज किया जाना आवश्यक है। [illegible] शून्य घोषित कर भूमि पूर्ववत तलाई राजस्व रिकार्ड में दर्ज क[illegible] हेतु [illegible] किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.02.09 14:37:12 IST
Reason: SelfAttested

2– प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से जर्ये अभिभाषक जवाब इस आशय का पेश हुआ कि परगना अधिकारी, बारां द्वारा दिनांक 13.01.1983 को ग्राम पलसावा की आराजी खसरा नंबर 405 रकबा

10 बीघा 13 बिस्वा कीमतन रामगोपाल व रामकल्याण को आवंटित की गई थी। रामगोपाल व रामकल्याण का स्वर्गवास हो चुका है। उनके उत्तराधिकारीगण के नाम वर्तमान में उक्त आराजी दर्ज है। उक्त आराजीयात को काबिल काश्त बनाने में आवंटियों ने काफी धनराशि खर्च कर उपजाउ बनाई है जिस पर अप्रार्थीगण का 30 वर्ष से कब्जा है। उक्त आराजी को अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को आवंटित हुए 30 वर्ष से अधिक समय हो गया है तथा अप्रार्थीगण बिना किसी बाधा के आवंटन तिथि से ही उक्त आराजी पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं। अतः उक्त कार्यवाही ड्रोप फरमायी जावे। जवाब पेश होने पर प्रकरण बहस हेतु नियत किया गया।

3— बहस के दौरान पेरोकार सरकार ने प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि ग्राम पलसावा में सेटलमेन्ट 2015—2024 के अनुसार आराजी खसरा नं. 405 रकबा 10 बीघा 13 बिस्वा किस्म तलाई खाता सरकार दर्ज रिकार्ड है। मुताबिक मिलान क्षेत्रफल संवत 2044—63 ग्राम पलसावा आराजी साबिक खसरा नंबर 405 रकबा 10 बीघा 13 बिस्वा किस्म तलाई के हाल खसरा नंबर 569 रकबा 0.98 है. किस्म माल द्वितीय कायम किये जाकर अवैधानिक रूप से आवंटन दिनांक 13.01.1983 से रामकल्याण, रामगोपाल पुत्रगण दीपा जाति मीणा निवासीगण पलसावा के खाते दर्ज कर दी। उक्त आराजी के हाल खसरा नंबर 1113/569 रकबा 0.98 है. किस्म बारानी ाा मुताबिक वर्तमान जमाबन्दी संवत 2065—68 अप्रार्थीगण के खाते दर्ज है। जो भू. राजस्व अधिनियम की धारा 88 के प्रावधानों के विपरित तथा अवैधानिक है। उक्त आवंटन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा—16 के तहत अवैधानिक है तथा डी0बी0 सिविल रिट याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राज. उच्च न्यायालय, जयपुर के निर्णय दिनांक 2.8.2004 अनुसार ऐसी आराजी को पूर्ववत दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः उक्त आवंटन को शून्य घोषित कर भूमि पूर्ववत तलाई राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

4— दौराने बहस अभिभाषक अप्रार्थीगण ने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि दिनांक 13.01.1983 को ग्राम पलसावा की आराजी खसरा नंबर 405 रकबा 10 बीघा 13 बिस्वा कीमतन रामगोपाल व रामकल्याण को आवंटित की गई थी। रामगोपाल व रामकल्याण का स्वर्गवास हो चुका है। उनके उत्तराधिकारीगण के नाम वर्तमान में उक्त आराजी दर्ज है। उक्त आराजीयात को काबिल काश्त बनाने में आवंटियों ने काफी धनराशि खर्च कर उपजाउ बनाई है जिस पर अप्रार्थीगण का 30 वर्ष से कब्जा है। उक्त आराजी को अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को आवंटित हुए 30 वर्ष से अधिक समय हो गया है तथा अप्रार्थीगण बिना किसी बाधा के आवंटन तिथि से ही उक्त आराजी पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं। अतः रेफरेन्स प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया जावे।

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

5— हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि ग्राम पलसावा में सेटलमेन्ट 2015—2024 जमाबन्दी में खसरा नं. 405 रकबा 10 बीघा 13 बिस्वा किस्म तलाई दर्ज रिकार्ड है, मुताबिक मिलान क्षेत्रफल संवत 2044—63 ग्राम पलसावा आराजी साबिक खसरा नंबर 405 के हाल खसरा नंबर 569 रकबा 0.98 है. किस्म माल द्वितीय कायम किये जाकर अवैधानिक रूप से आवंटन दिनांक 13.01.1983 से रामकल्याण, रामगोपाल पुत्रगण दीपा जाति मीणा निवासीगण पलसावा के खाते दर्ज कर दी। उक्त आराजी के हाल खसरा नंबर 1113/569 रकबा 0.98 है. किस्म बारानी ाा मुताबिक वर्तमान जमाबन्दी संवत 2065—68 अप्रार्थीगण के खाते दर्ज है। इस प्रकार जिस वक्त भूमि आवंटित की गयी थी उस वक्त विवादित आराजी किस्म तलाई खाता सरकार दर्ज थी, जो आवंटन योग्य भूमि नहीं थी। रामकल्याण, रामगोपाल पुत्रगण दीपा जाति मीणा निवासीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.02.09 14:57:12 IST
Reason: SelfAttested

पलसावा को उक्त आराजी का आवंटन नियम विरूद्व हुआ है। तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा डी0बी0 सिविल रिट जनहित याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 2.8.2004 में ऐसी आराजी को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये है। इसलिये हम उक्त आवंटन को विधि विरूद्व मानते हुए, आवंटन निरस्त करने के लिये रेफरेंन्स माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में अग्रेषित किया जाना उचित समझते है।

6— परिणामस्वरूप, प्रार्थी जर्ये तहसीलदार, अन्ता का रेफरेन्स प्रार्थनापत्र स्वीकार कर, अप्रार्थीगण के वर्तमान में वाके ग्राम पलसावा में दर्ज आराजी खसरा नंबर 1113/569 रकबा 0.98 है. किस्म बारानी II को जो मूल रूप से सेटलमेन्ट पूर्व खसरा नंबर 405 रकबा 10 बीघा 13 बिस्वा किस्म तलाई से बना है जिसका रामकल्याण, रामगोपाल पुत्रगण दीपा जाति मीणा निवासीगण पलसावा को गलत रूप से आवंटन हुआ है, आवंटन निरस्त किये जाने हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956 की धारा—82 के अन्तर्गत रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में प्रेषित किया जावे। इस हेतु तहसीलदार अन्ता को आदेश दिये जाते है कि इस न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त कर, माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में राजकीय अधिवक्ता से सम्पर्क कर, अन्दर मियाद रेफरेंस प्रस्तुत करे तथा सावचेत होकर प्रकरण में पैरवी सुनिश्चित करे।

7— तहसीलदार, अन्ता को यह भी निर्देश दिये जाते है कि प्रश्नगत आवंटित आराजी जो वर्तमान में अप्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज है। जमाबन्दी खाते पर रेफरेंन्स होने का नोट लाल स्याहीं से राजस्व रेकार्ड में अंकित करें।

आदेश आज दिनांक 24.01.2023 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर
जिला कलक्टर, बारां
बारां (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.02.09 14:57:12 IST
Reason: SelfAttested